2018/00196

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 43/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

नगर विकास न्यास, कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– तहसीलदार लाडपुरा पेरोकार सरकार

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण
निर्णय दिनांक : 08.11.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम शम्भूपुरा तहसील लाडपुरा के गत खसरा नम्बर 283 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 194/355 रकबा 0.15 है0, 195 की 0.18 है0 307/370 रकबा 0.15 हैक्टर की किस्म परिवर्तन कर बाराजी ।।। दर्ज कर दी गई व नामा0 सं0 131 दि0 10.03.2011 व नामा0 सं0 133 दि0 15.06.2011 से नगर विकास न्यास कोटा के खाते मे दर्ज कर दी गई है । जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 55 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम शम्भूपुरा तहसील लाडपुरा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2038–2057 के दौरान गै0 मु0 नाला से बारानी तृतीय दर्ज कर दी गई थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प0010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 55 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

3. पेरोकार सरकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित् तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम शम्भूपुरा तहसील लाडपुरा के गत खसरा नम्बर 283 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 194/355 रकबा 0.15 है0, 195 की 0.18 है0 307/370 रकबा 0.15 हैक्टर जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 55 पर उक्त अप्रार्थी

की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम शम्भूपुरा तहसील लाडपुरा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2038–2057 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है । अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 55 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

4 पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया व प्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स इस आधार पर पेश किया गया है कि ग्राम शंभूपुरा तहसील लाडपुरा स्थित आराजी ख0 नं0 283 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा सिवायचक गैर–मुमकिन नाला दर्ज रेकार्ड थी जिसके बाद बंदोबस्त ख0 नं0 194/355, 195 व 307/370 कायम कर नगर विकास न्यास को आवंटित की गई जिसे वापस मूल स्वरूप में परिवर्तित किया जाए । प्रार्थी द्वारा पेश भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल सं0 2038–57 से आराजी ख0 नं0 283 से हॉल ख0 नं0 194/355 रकबा 0.15 है0, 195 रकबा 0.18 है0 तथा 307/370 रकबा 0.15 है कायम किया जाना साबित होता है । मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 131 उक्त भूमि को नगर विकास न्यास कोटा को आवंटित किया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा आराजी गत ख0 नं0 283 का गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड होने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया गया । भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सं0 2038–57 के अनुसार आराजी ख0 नं0 195 बारानी ।।। दर्ज रेकार्ड थी । शेष आराजी 194/355 व 307/370 के संबंध मे प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है , जिससे उनकी किस्म के संबंध मे कोई जानकारी प्राप्त नही होती । नामान्तरकरण संख्या 131 मे आराजी ख0 नं0 194/355 की किस्म गैर मुमकिन नाला व 195 व 307/370 की किस्म बारानी ।।। अंकित है ।

चूंकि प्रार्थी द्वारा आराजी गत ख0 नं0 283 की किस्म गैर मुमकिन नाला होने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया गया तथा उक्त आराजी से कायम नवीन ख0 नं0 195 व 307/370 का भी गैर मुमकिन नाला होने के संबंध मे कोई रिकार्ड पेश नही किया गया । अतः प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ख0 नं0 195 व 307/370 नगर विकास न्यास के खते से खारिज कर गैर मुमकिन नाला राजकीय भूमि मे दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा चूंकि ख0 नं0 194/355 रकबा 0.15 है0 मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सं0 2038–57 मे किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एवं डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दूल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आवंटन नही करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एवं राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3)राज0/6/01 पार्ट 17 दिनांक 23.09.2011 में उक्त खाता सरकार मे दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप मे परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण बाबत ख0 नं0 194/355 रकबा 0.15 है0 अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 55 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित मे नाम एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्रीमान् नियन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा